सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 11, बुधवार, शाके 1943-मार्च 02, 2022
Phalguna 11, Wednesday , Saka 1943- March 02, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-।।

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

जी.एस.आर.419 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-जल सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-। का संशोधन.- राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 से संलग्न अनु सूची-। में, विद्यमान क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

11.	कनिष्ठ भू-भौतिकविद्	50% सीधी भर्ती तथा 50% पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से एम.एससी. भू-भौतिकी या एम.टेक(इलैक्ट्रोनिक्स) और भू-भौतिकीय उपस्कर की उठाई-धराई (हैंडलिंग) का 2 वर्ष का अनुभव।	तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी)	स्तभं 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-

"

[सं. एफ. 1(3) डीओपी/ए-।।/86]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr. II
NOTIFICATION
Jaipur, February 23, 2022

G.S.R.419 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Ground Water Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Amendment of Schedule-I.-** In Schedule-I, appended to the Rajasthan Ground Water Service Rules 1969, the existing serial number 11 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

11.	Junior Geophysicist	50% by direct recruitment and 50% by promotion	M.Sc. Geophysics or M. Tech.(Electronics) from a University or Institution established by law in India and 2 years' experience of handling geophysical equipment.	Technical Assistant (Geophysics)	5 years experience on the post mentioned in column 5.	-

"

[No.F.1(3)DOP/A-II/86]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.